



2026:AHC:127569

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-19985 वर्ष 2026

मो. आजम

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रशांत सिंह, सौरभ सचान

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सौरभ कुमार पांडे, उमेश यादव

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, पहले सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. वर्तमान जमानत याचिका भारतीय न्याय संहिता, की धारा 109, 61(2), 115(2), 3(5) के तहत थाना- फूलपुर, जिला आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 141/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह के सह-अभियुक्त, अर्थात् मोहम्मद अकरम को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 25.05.2026 के आदेश द्वारा जमानत दे दी गई है, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17886 वर्ष 2026 में पारित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.04.2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् मोहम्मद अकरम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् मोहम्मद अकरम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 14.04.2026 से जेल में बंद है। मैं आवेदक को जमानत पर बढ़ाना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- **मो. आजम** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में, ट्रायल कोर्ट के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी/269 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएसएस के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, फिर, ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ कानून के अनुसार, अंतर्गत धारा 174-क आईपीसी/209 बी.एन.एस. कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो ट्रायल कोर्ट के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान ट्रायल जज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

जून 16, 2026

राधिका

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”